FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the 32 - Fatehpur Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that -

Shri Hakam Ali Khan

Village And Post Rohal Sahabsar, Teh. Ramgarh, Dist-Sikar sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above Constituency.

Place: Sikar

Date: 03 December 2023

(Kapil Kumar)

Returning Officer
(Sub Divisional officer and Sub Divisional Magistrate, Fatehpur)
32- Fatehpur Assembly constituency

(KAPIL KUMAR)
Returning Officer
Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate
(32) Fatebour Assembly Constituency

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

32-फतेहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री हाकम अली खां

ग्राम पोस्ट - रोहल साहबसर तह. रामगढ जिला सीकर

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - सीकर

दिनांक - 03 दिसम्बर 2023

(कपिले कुमार) रिटर्निंग आफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर) 32-फतेहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

> (कपिल कुमार) बिटर्निंग ऑफिसर उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिरट्रेट, फतेडपुर (32) **फतेहपुर विधा**मसभा निर्याचन क्षेत्र